

“मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना” कार्यान्वयन के समेकित (Consolidated) दिशा-निर्देश-2017

I. योजना की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि एवं उद्देश्य:

1. वर्ष 1984-85 में हिमाचल प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम का आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्र के जिलों किन्नौर तथा लाहौल स्पिति तथा चम्बा के पांगी व भरमौर क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त उपायुक्तों को राज्य बजट की प्रावधित धनराशि से जिला अनुसार आबंटन किया जाता रहा है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस विषय पर पहले से ही नाभिक बजट का प्रावधान विद्यमान था। पूर्व संचालित स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करना था जिसमें वित्तीय संसाधनों को जिला स्तर से नीचे संतुलित आधार पर आबंटन करने की व्यवस्था की गई।

2. स्थानीय जिला नियोजन से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन प्रक्रिया पर कुछ समस्याएं सरकार के ध्यान में लाई गईं जिनमें जिला स्तर से नीचे धनराशि के आबंटन में संतुलन की समस्या प्रमुख थी। साथ में स्थानीय स्तर पर गावों के रास्तों का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में ऊभर कर सामने आई।

3. इसलिए वर्ष 2002-03 में एक नई योजना आरम्भ की गई जिसका नाम ‘मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना’ रखा गया है। इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के अतिरिक्त गांवों के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने का प्रावधान किया है ताकि लोगों को मुख्य सड़कों तक आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

II. योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य योजना राशि से मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट प्रावधान निर्धारित करना सुनिश्चित करेगी। राज्य स्तर पर इस योजना के बजट का नियन्त्रण योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश करेगा तथा सलाहकार (योजना), हि0प्र0 सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के नियंत्रण अधिकारी होंगे। योजना विभाग, हि0प्र0 प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित जिलों को इस योजना के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन करेगा। *यह आबंटन जिले की वर्ष 1991 की जनगणनानुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांव की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाएगा।*

2. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम उन रास्तों को ही पक्का करने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी जिनको नजदीक बस योग्य सड़कों या पंचायत मुख्यालय से जोड़ा जा सके । ऐसे रास्तों की चौड़ाई स्थानीय आवश्यकता तथा निर्मित स्थल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 4 फुट से अधिक भी प्रस्तावित की जा सकती है जबकि चौड़ाई की निम्नतम सीमा 4 फुट रहेगी । ऐसे सम्पर्क रास्ते कम से कम 10 से 15 घरों वाली बस्तियों को जोड़ने वाले होने चाहिए ।
3. प्रस्तावित पक्के रास्तों की लम्बाई प्रथम चरण में कम से कम 100 मीटर से लेकर 2 कि०मी० तक होगी । यदि किसी अवस्था में लम्बे रास्तों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाना आवश्यक हो तो उस अवस्था में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित रास्तों से कई बस्तियों के समूहों को पक्की सड़क/पंचायत मुख्यालय तक जोड़ने से लाभ हो । **यदि रास्तों को जोड़ने के लिए पुलियां (CULVERT) इत्यादि का निर्माण कार्य अति आवश्यक समझा जाए तो इसे केवल उस अवस्था में ही प्राथमिकता दी जाए जहां बरसात में पानी का बहाव अधिक हो ।**
4. पक्के रास्तों की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करने से पहले यदि निजी भूमि को अधिकृत किया जाना आवश्यक हो तो निजी भूमि मालिकों से यह इकरारनामा लिया जाना आवश्यक होगा कि उन्हें उसकी निजी भूमि पर रास्ता निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है तथा न ही वे अधिकृत भूमि के लिए भविष्य में मुआवजे की मांग करेंगे ।¹
5. आरम्भ में केवल एक ही ऐसा पक्का रास्ता प्रति पंचायत स्वीकृत किया जाएगा तथा इस सुविधा का सार्वभौमीकरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा ।
6. रास्तों के निर्माण में स्थानीय पत्थर/ईंटों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । स्थानीय स्थिति को देखते हुए रास्ते सीमेंट-कंक्रीट अथवा तारकोल-बजरी से भी बनाए जा सकेंगे ।
7. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगे और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी ।
8. प्रत्येक जिला में मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत कुल आबंटित धनराशि में से न्यूनतम 25.19 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति बाहूल्य के क्षेत्रों में पक्के रास्तों/सड़कों के निर्माण के लिए व्यय की जाएगी ।

9. निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख-रखाव सम्बन्धित पंचायत अपने स्रोत/राजस्व से करेंगे । इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा ।

10. इस कार्यक्रम के अधीन पहाड़ी एवं कठिन क्षेत्रों में 2 कि०मी० लम्बाई के जीप/ट्रैक्टर योग्य सम्पर्क सड़कों का निर्माण भी किया जा सकेगा । मोटर योग्य सड़कों के निर्माण की स्वीकृति करने से पूर्व सम्बन्धित उपायुक्तों को सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों के निर्माण की स्वीकृति केवल उसी दशा में प्रदान की जाए जब सम्बन्धित क्षेत्र की जनसंख्या अल्प संख्या में हो तथा क्षेत्र पूर्णरूपेण दुर्गम व पहाड़ी हो । ऐसी स्वीकृति की गई सड़कों का Grade Motor योग्य होना चाहिए व इनका Proper Alignment लोक निर्माण विभाग से करवाया जाना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में ऐसी निर्मित की गई सड़कों को चौड़ा करने में किसी प्रकार की कठिनाई न आए ।²

III. योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था:

1. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने वाले पक्के रास्तों की प्रस्तावनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी को प्रेषित की जाएंगी । विकास खण्ड अधिकारी जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावनाओं को भी स्थानीय आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रस्तावनाओं को समेकित करके सम्बन्धित उपायुक्त को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे । जिला योजना अधिकारी विकास खण्ड अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावनाओं तथा उपायुक्त कार्यालय में जन प्रतिनिधियों व अन्यो से प्राप्त प्रस्तावनाओं को समेकित करके शैल्फ तैयार करवाएंगे । स्कीमों की प्रशासनिक/व्यय स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए उपायुक्त सक्षम होंगे ।

2. इस योजना के अधीन संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा स्थानीय लोगों की विकास सम्बन्धी मांगों की प्रतिपूर्ति के लिए उपायुक्तों को इस धनराशि का उपयोग करने के अधिकार दिए गए हैं । उपायुक्तों द्वारा विकास खण्डवार धनराशि का आबंटन वर्ष 1991 की जनगणनानुसार विकास खण्ड की ग्रामीण जनसंख्या तथा आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर आबंटित किया जाएगा तथा उपायुक्तों का यह दायित्व भी होगा कि वे कार्य योजना की स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा यह समिति समय-2 पर निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेगी ।

² पत्र संख्या:पीएलजी(एफ)(आरडीपी)1-1/2002 दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित

3. इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कोई विभागीय प्रभार नहीं लगाए जाएंगे तथा सभी स्वीकृत स्कीमों की स्वीकृति प्राप्ति की तिथि से 3 महीनों के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा ।
4. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा । इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा ।
5. निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे ।
6. उपायुक्तों को आबंटित धनराशि का 1 प्रतिशत फुटकर व्यय करने में छूट होगी जिसका उपयोग जिला मुख्यालय व खण्ड स्तर पर किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में उपायुक्त अपने स्तर पर निर्णय लेंगे ।
7. जिला नियोजन कक्ष सभी स्वीकृत स्कीमों का विवरण रखेगा तथा सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से कार्यान्वयन का सामयिक अनुश्रवण भी करेगा ताकि स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में बिना किसी लागत वृद्धि के सम्पूर्ण हो ।
8. उपायुक्तों का यह भी दायित्व होगा कि वे स्वीकृत परिसम्पतियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित करेंगे ।
9. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यों के UCs/CCs जिले के सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जिला योजना कक्ष में रखे जाएंगे ।
10. मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के अधीन धनराशि का प्रावधान मांग संख्या-15 मुख्य शीर्ष 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय 00-800-04-SOON State Scheme object code-37 मुख्य निर्माण कार्य (योजना स्कीम) के अधीन किया जाएगा तथा व्यय भी इसी विवरण के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

IV. निर्माण कार्यों का प्रबोधन एवं निरीक्षण:

इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों का प्रभावी सामुहिक अनुश्रवण एवं निरीक्षण (Monitoring and Supervision) निम्न प्रकार से होगा:-

क्र०संख्या	निरीक्षण अधिकारी का स्तर	कुल स्वीकृत कार्यों की प्रतिशतता जिसका निरीक्षण किया जाना है
1.	2.	3.
1.	खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता (विकास)/सहायक अभियन्ता (विकास)	100 प्रतिशत
2.	जिला योजना अधिकारी	15 प्रतिशत
3.	अतिरिक्त उपायुक्त/अति०जिला दण्डाधिकारी (मुख्य योजना अधिकारी)	5 प्रतिशत
4.	उपायुक्त	4 प्रतिशत
5.	सलाहकार (योजना)/योजना विभाग के मुख्यालय के अन्य अधिकारी	1 प्रतिशत

V. सामान्य निर्देश:

1. उपायुक्त जिले को अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से रास्तों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृतियां देते समय सभी प्रकार के कार्यक्रमों एवं संसाधनों का समेकन व समन्वय करके ही मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के अधीन स्वीकृतियां प्रदान करेंगे ।
2. इस योजना के अधीन सर्वोच्च प्राथमिकता उन गांवों के रास्तों को दी जाएगी जिन्हें भविष्य में सड़कों से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है ।
3. दिशा-निर्देशों में वर्णित स्कीमों अथवा परिसम्पतियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य इस योजना के अधीन नहीं किया जाएगा ।

किसी भी विवाद की स्थिति में अथवा किसी विशेष मुद्दे पर स्पष्टीकरण के बारे में योजना विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।